

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री एस.के. मुदगल
 2 वर्तमान धारित पद : संयुक्त संचालक
 3 वर्तमान वेतन : 1,31,600/-
 4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01.07.2023

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका भासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
60, टोडरमल रोड बंगाली मार्केट नई दिल्ली	आवासीय भवन	आवासीय	1 करोड़ अनुमानित	स्व0 श्री एम.सी. मुदगल (दादाजी)	पारिवारिक उत्तराधिकार की संयुक्त संपत्ति	निरंक	निरंक
ग्राम बावड़िया कला भोपाल म0प्र0	114 वर्ग मीटर भूखंड	आवासीय	48.0 लाख अनुमानित	श्रीमति अनिला मुदगल (पत्नी)	ग्राम महाराजपुर रमना 465 वर्गमीटर भूखंड विक्रय कर माह अक्टूबर 2010 में क्रय किया गया	निरंक	दिनांक 01.04.2011 को क्रय करने की सूचना संचालनालय नगानि भोपाल को दी गयी।
ग्राम बावड़िया कला भोपाल म0प्र0	35 वर्ग मीटर	दुकान	40.0 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम पर	राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से ऋण लेकर ए.जी.- 8 वेंचर से क्रय किया गया।	पचास हजार मात्र	शासन के ज्ञाप क्रमांक 7-29/15/19-5 दिनांक 30.05.2015
ग्राम बरखेड़ा पठानी तहसील हूजुर भोपाल म0प्र0	आवासीय फ्लेट	आवासीय	25.0 लाख अनुमानित	श्रीमति अनिला मुदगल (पत्नी)	वर्ष 2019 में ग्राम ओहदपुर ग्वालियर में 135 वर्गमीटर का भूखंड विक्रय कर क्रय किया गया	बीस हजार प्रतिमाह	शासन के ज्ञाप क्रमांक 7-6/2019/18-5 दिनांक 05.09.2019

हस्ताक्षर : 
 नाम : श्री एस के मुदगल
 पद : संयुक्त संचालक नगानि इंदौर
 दिनांक : 30/12/2022

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2023

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- सुनीता सिंह

2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक

3. वर्तमान वेतन- रु.1,28,000 /-

4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख-जुलाई-2023

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
भोपाल,	आवासीय फ्लेट, शाहपुरा भोपाल	---	रु. 25.00 लाख	यह सम्पत्ति पति श्री प्रदीप भदौरिया के नाम से है।	MPEB से Loan द्वारा 1990 में BDA से कय किया गया ।	रु. 15000 प्रति माह	इस आय से Loan चुकाया जाता है।
भोपाल	आवासीय मकान, शाहपुरा भोपाल	50X80 का भूखण्ड, बी-272 शाहपुरा भोपाल	रु. 30 .00 लाख (लगभग)	संयुक्त सम्पत्ति है, यह मेरी माता, मेरे पति एवं स्वयं के नाम पर है।	बाग मुगालिया स्थित भू-खण्ड 50X80 एवं ई-7 स्थित भूखण्ड 50X60 को विक्रय कर भूखण्ड खरीदा गया है, यह भूखण्ड श्री संदीप माहेश्वरी का था।	स्वयं के निवास हेतु उपयोग में	---
भोपाल	वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन बी-213, एम.पी नगर, भोपाल	---	रु. 30.00 लाख (लगभग)	यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से मेरे ससुर एवं मेरे नाम थी दिनांक 07.07.2011 को उनका देहान्त होने के कारण अब यह सम्पत्ति विधि अनुसार मेरे एवं मेरे पति के नाम पर है।	P.N.B. से Loan लिया है, यह सम्पत्ति श्रीमती ग्रेबीला की थी	रु. 2.40 लाख (लगभग) वार्षिक आय है।	इस आय से Loan चुकाया जाता है।
भोपाल	आवासीय/ वाणिज्य भूखण्ड	25X60 भूखण्ड 1500 वर्गफिट	72.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	आदित्य इस्टेट एवेन्यू से बैंक ऋण लेकर खरीदा गया।	-	-

* जहां लागू न हो काट दिया।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनीता सिंह 10/01/23
पद नाम- संयुक्त संचालक

दिनांक 01.01.2023 को धारित अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण

1-अधिकारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - राजीव कुमार पाण्डेय

2-वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

3-प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक सहायक संचालक दिनांक 19.12.1986


4-प्रथम नियुक्त के साथ कुल वेतन **Rs 1300200**

5-वर्तमान पद का कुल मूल वेतन रुपये **199394000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उस जिले उभ संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यास गृह तथा अन्य भवन	भूमि आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि	संपत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस मसय मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उनका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद-प्रदत्ता बंधक विरासत-भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसके नाम तथा व्यास	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने अनुमति प्राप्त करने की दिनांक	यदि विरासत या भेट नहीं है तो उसके लिए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण (जिससे नगद या भेट ली है उसका पूरा पता दिया जावे)	यदि संपत्ति से कोई सुधार विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिए शासन का नियमानुसार सूचित किया गया था अनुमति ली गई	संपत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभिमत

1- Member of undivided hindu family possesses agricultural land as well as pucca kachha house etc in District Tikamgarh

2 ग्राम वंजारी तहसील हुजूर जिला भोपाल	भवन	आवासीय भूखण्ड पर भवन	भूखण्ड 19. 06:2001 भवन निर्माण पूर्ण 13:12:04	लगभग 55 लाख पचपन लाख	स्वयं के नाम पर	भूखण्ड काय कर भवन निर्माण किया गया	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश संचालक के पत्र क्रमांक 3566 दिनांक-09.10.1992 द्वारा भूखण्ड अनुमति भवन निर्माण सूचना दिनांक 22.10.2003	01.01.2005 में दिये गये विवरण अनुसार	कुछ नहीं	सुधार/विस्तार नहीं किया गया	कुछ नहीं	नहीं	कुछ नहीं
---------------------------------------	-----	----------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	----------	-----------------------------	----------	------	----------


 30/12/2022
 (आर०के० पाण्डेय)
 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 सागर (म०प०)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2021-2022- 2022-2023

अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- नीरज आनंद लिखार, वर्तमान मुख्य नगर निवेशक, नगर निगम भोपाल

वर्तमान वेतन रूपये

वेतन वृद्धि तारीख:- 01.07.2022

इस जिले, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है ।	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरी, पट्टा बंधक विरासत भेज या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
01	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल, ग्राम गोंदरमउ	भूखण्ड	भो0वि0प्रा0 की योजना गोंदरमउ वार्ड नं. 01 फ्री होल्ड भूखण्ड क्र. 524 (पुराना)	30.0 लाख	श्रीमति जूही लिखार (पत्नी)	वर्ष 2012-2013 में क्रय किया गया		भूखण्ड दिनांक 03.10.2022 को रूपये 21 लाख में विक्रय कर दिया गया है । वर्तमान में कोई भूखण्ड नहीं है ।
इन्दौर ग्राम खजराना	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ क्र0-2021 एवं 202 ब्लाक बी द्वितीय तल शुभ लाभ प्राइम इन्दौर	85.0 लाख	श्रीमति जूही लिखार (पत्नी) एवं स्वयं के नाम पर	एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण द्वारा 2016 में डॉ0 अफजल अली बंगलो वाले खजराना से क्रय किया गया		क्रय स्वीकृत पत्र क्रमांक एफ-7 29/2015/18-5 भोपाल दिनांक 16.05.2016

V. J. A.
17/11/23.

(नीरज आनंद लिखार)

मुख्य नगर निवेशक,
नगर पालिक, निगम भोपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष- 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शैलेश वि. कोहड़

2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक, ज.श.नि. (सु.)

3. वर्तमान वेतन 15600-39100+7600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2023

शोपाठ (म.प्र.)-16

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शोपाठ (म.प्र.)	भवन फ्लैट	-	21.00 लाख रुपये (अनुमानित इक्कीस लाख रुपये मात्र)	स्वयं के नाम पर प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन इक्वीटी ग्रॉस कंपनी शोपाठ से क्रय किया गया है।	वर्ष- 1999-2000 प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कंपनी शोपाठ से क्रय किया गया है।	स्वयं निवासरत्	-

12.22

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर

नाम

शैलेश वि. कोहड़

पद

संयुक्त संचालक, ज.श.नि. शोपाठ (म.प्र.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, रार्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. अमित कुमार राजनिष्य
असोजनाथम, नगरपालिका, गण्डक नदी, काठमाडौं, नेपाल
2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक
3. वर्तमान वेतन 113800+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निराक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परिचालन यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

डॉ. अमित कुमार राजनिष्य
संयुक्त संचालक

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-वर्ष-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- **चन्द्रकान्त साधव** 2. वर्तमान धारित पद- **संयुक्त संचालक**
3. वर्तमान वेतन- **रु. 1,38,500/-** 4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- **जुलाई-2023**

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि सवय के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	HIG-24 गौतम नगर, भोपाल	-	रु. 160.00 लाख (लगभग)	स्वयं के नाम पर	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से क्रय	स्वयं के निवास हेतु उपयोग	म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्र.-23/4629/07/32 दिनांक-20.01.2008 द्वारा अनुमति प्राप्त
इन्दौर	भूखण्ड/भवन 82-ए बसंत विहार, इन्दौर	-	रु. 125.00 लाख (लगभग)	पत्नी एवं स्वयं के नाम पर	27 जुलाई 2015 में क्रय	निरंक	म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. एफ-7-28/2015/18-5 दिनांक-25.12.2015 द्वारा अनुमति प्राप्त भवन निर्माण की सूचना दिनांक-23.01.2018 को दी गई


' जहां लागू न हो काट दिजिए।

'' ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

''' इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....


25/12/22

नाम- **चन्द्रकान्त साधव**

पदनाम- **संयुक्त संचालक**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण—जनवरी—2023

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- विष्णु खरे

2 वर्तमान धारित पद:- संयुक्त संचालक

3 वर्तमान वेतन:- 124300/- + मंहगाई भत्ता

4 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई—2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें वह स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1-इंदौर	-	आवासीय प्लॉट महालक्ष्मी नगर 1000 व.फी.	-	स्वयं	दादीजी से प्राप्त	निरंक	-
2-भोपाल	बी-67 शाहपुरा में 45X80 के प्लॉट पर निर्मित भवन	-	-	बड़े भाई के साथ संयुक्त रूप से धारित।	पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरे और बड़े भाई के नाम नामांतरण से	15000/-प्रति माह किराये से	-
3-ग्वालियर	बी-208 में सैफायर हाम में एक फ्लेट	-	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर मार्च-2012 में कय किया	12500/-प्रति माह किराये से	-
4-ग्राम खरवई जिला विदिशा	-	खसरा नं. 13 में से रकबा 1.672 हे.	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर 26.04.2019 को कय की गई।	2,00,000/- प्रतिवर्ष	-
5-इंदौर	कनक ऐवन्यू ग्राम लसुडिया मोरी में 1150 व.फी.प्लॉट ए-78	प्लॉट	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर परिवारजनो से राशि लेकर दि. 24.02.2020 को कय किया गया।	-	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

“ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

“इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे सर बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

Khame
3/1/2023

नाम :- विष्णु खरे

पद :- संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ० शुभाशीष बैनर्जी, 2. वर्तमान धारित पद उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3. वर्तमान वेतनमान 138500/- (बेसिक) अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला भोपाल ग्राम बदरखों सड़क	—	कृषि भूमि 2.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।	रूपये 2.00 लाख	—
जिला भोपाल ग्राम बरखेड़ा बोन्दर	—	कृषि भूमि 8.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।	रूपये 2.00 लाख	—
जिला भोपाल, चूनाभट्टी	आवासीय भवन	—	ज्ञात नहीं	पत्नी (श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी)	भूखण्ड वर्ष 2002 में पारिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित से क्रय कर वर्ष 2005 में भवन निर्माण किया गया।	रूपये 5.00 लाख (किराया)	स्वालयनालय से भूखण्ड क्रय करने के लिये पत्र क्रमांक 9708 दिनांक 31.01.2002 को एवं भवन निर्माण के लिये दिनांक 01/10/2004 को अनुमति प्राप्त।
जिला भोपाल, शहर भोपाल	आवासीय चैम्बर 23.25 वर्ग मीटर	—	ज्ञात नहीं	पत्नी एवं पिता श्री एस. के. बैनर्जी के संयुक्त नाम से	माताजी श्रीमती मिनोती बैनर्जी द्वारा दिनांक 30/08/2006 को सम्पत्ति हस्तांतरित की गई।	रूपये 1.08 लाख (किराया)	दिनांक 30/08/2006 को सूचना दी गई।
जिला मुम्बई, उप नगर चांदीवली	फ्लैट (78.13 वर्गमीटर)	—	ज्ञात नहीं।	स्वयं	दिनांक 27/08/2018 को ग्राम बाबडिया कला स्थित 0.101 हे० भूमि विक्रय से प्राप्त राशि से दिनांक 16.04.2019 को क्रय किया गया।	रूपये 6.50 लाख (किराया)	26/03/2019 को दी गई सूचना पर शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-5/2019/18-5 दिनांक 14/06/2019 द्वारा सूचना प्राप्त की जानकारी दी गई।
ग्राम बाबडिया कला जिला भोपाल	भवन 92.99 वर्गमीटर के भूखण्ड पर	—	ज्ञात नहीं	पत्नी (श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी)	ससुर श्री ए.के.बागची की मृत्यु उपरान्त वसीयत के माध्यम से दिनांक 01/10/2021 को प्राप्त	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम, 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण दे सकें।

हस्ताक्षर

नाम :- डॉ० शुभाशीष बैनर्जी

पदनाम :- उप सचिव, म०प्र० शासन

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रविन्द्र कुमार सिंह

2. वर्तमान धारित पद

संयुक्त संचालक

3. वर्तमान वेतन 124.300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पिपुलवाकुमार इन्दौर (म.प्र.)	—	30 फीट x 50 फीट = 1500 वर्ग फीट मूल्य 5000/- 10 बीघे मां सरखिनी गृह निर्माता बह. सरखा इन्दौर	रु. 35,00,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के हन्दर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम रविन्द्र कुमार सिंह
 पद संयुक्त संचालक, जबलपुर

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण-2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा स सेवा का नाम जिसमें वह हो- **सुनील नाथ**

2. वर्तमान धारित पद- **उप संचालक**

3. वर्तमान वेतन- **रु. 101200/-**

4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- **जनवरी-2023**

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
भोपाल तहसील- हुजूर जिला-भोपाल	आवासीय भवन	---	ज्ञात नहीं	स्वयं एव भाई श्री राजू नाथ के नाम पर पैत्रिक संपत्ति	पैत्रिक संपत्ति माती जी के देहान्त उपरान्त, म. प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल द्वारा दिनांक-31.10.2014 का नामांतरित किया गया है।	स्वयं के निवास हेतु	भवन के प्रथम तल का निर्माण छोटे भाई द्वारा कराया गया, उनकी सहमति से निवास कर रहा हूं।

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- **सुनील नाथ**
पद नाम- **उप संचालक**

दिनांक
19-1-2023

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 1 Jan. 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुप्रिया पंडक

2. वर्तमान धारित पद

उप संचालक ज. व. म. नि. म. प्र.
एवं पदेन उदार सचिव नगरिय विकास एवं कवाय विभाग

3. वर्तमान वेतन

104200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1 July 2023

उस जिले, उप. संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - गीपात संभल - गीपात तह - दुमुर ग्राम - गीपात	फ्लैट - 3 rd Floor 2/7 "अशोक" शालीमार इकामा E-3, दुमुर कालोनी गीपात	जिबंक	लगभग 16 लाख रुपये	फ्लैट संयुक्त नाम से (1) अजय पंडक (पति) एवं (2) सुप्रिया पंडक (स्वयं) के नाम धारित है।	फ्लैट में शालीमार किल्लर गीपात से जिबंक 08-02-1993 का क्रेय किया गया।	जिबंक	अन्य फ्लैट में टैक्स 2800 है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Su... 08/02/23

नाम

सुप्रिया पंडक

उप संचालक ज. व. म. नि. म. प्र. एवं पदेन उदार सचिव नगरिय विकास एवं कवाय विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इन्द्र नारायण

2. वर्तमान धारित पद उप. संचालक योजना

3. वर्तमान वेतन 77,200/- + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई/2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल (म.प्र.)	फ्लैट	निरंक	17/- लाख	स्वयं नाम	जी.पी. एफ + बैंक लोन + एल.आई.सी + एल.एफ. से स्वयं का भ्राम	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

25/1/2022

नाम

इन्द्र नारायण

पद

उप. संचालक योजना
न.ग.नि. जिला काजी सिंगरौली
जिला सिंगरौली म.प्र.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अनीता कुरोडे

2. वर्तमान भारत पद उप संचालक

3. वर्तमान वेतन

90400/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई-2023

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, दंडक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भापाल (ओम्ड अशोका गार्डन म. नं. 156)	मकान	-	40 लाख भवन की अनुमानित लागत	स्वयं के नाम से	पिता के द्वारा कनाया गया मकान दान द्वारा प्रतिफल सहित 14-11-11 को प्राप्त हुआ।	7.50 लाख लगभग	बैंक द्वारा लोन लेन 24 लाख प्लेट विक्रय से प्राप्त राशि 20 लाख एक स्वयं की कफर से बनाया आ. एवं पर्या. के फंड 7-50/2011 भापाल दि. 6-2-11 द्वारा अनुमति प्राप्त की
इंदौर	-	प्लॉट	47,80,980	स्वयं के नाम से	ई. वि. जा. की योजना में लीज पर अमासीय भूखण्ड निविदा के साध्यम से दि. 21-9-11 को प्राप्त हुआ।	-	-
इंदौर	प्लॉट	-	29,16,288	स्वयं के नाम से	मेरी-मालाजी द्वारा इंदौर स्थित प्लॉट दि. 26-12-2019 को दान में प्रतिफल सहित प्राप्त हुआ	-	-

जहां लागू न हो कट दें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान विमति के संदर्भ में लगभग मूल्य उलटाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विधायक, 1959 के नियम 18(3) के अर्थानुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के अन्तर्गत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा जहाँ अर्जित अवकाशों विरासत में मिली या उसके पहले नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से अचल सम्पत्ति का विवरण पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम अनीता कुरोडे
 पद उप संचालक

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो-

कार्यालय- बंदोबस्त विकास प्राधिकरण

(दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में)

वर्तमान धारित पद - अध्यक्ष अचलिक

3. वर्तमान वेतन - 8,700 रु. प

2. वर्तमान धारित पद

4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

7 फरवरी 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम था ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>बंदोबस्त</u>	<u>मकान</u>	<u>—</u>	<u>750 रु. प</u>	<u>स्वयं स्वयं पति के नाम से</u>	<u>भूखंड क्रय कर मकान का निष्पत्ति किया गया।</u>		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर B. B. B.

नाम - श्रीमती रत्ना चौधरी

पद - अध्यक्ष

विभाग - बंदोबस्त विकास प्राधिकरण

नया प्यावरण

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 144100+DA+HRA अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1216
26/1/22

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो

(1)	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
① ग्राम-फरसौ, तह. कल्याण, जिला-इलाहाबाद	अग्रपट्टा (क) 10/10/2018	0.83 हेक्टर	140000	स्वयं के नाम पर	1982-83 के मध्ये खरीदा गया था 2022 में	रु. 100000	
② ग्राम गौशुआ, तह. हा. जिला-इलाहाबाद	अग्रपट्टा	80 सेंटर	80000	श्रीमती सुनीता देवी (पत्नी के नाम पर)	1996 में खरीदा गया था 1998 से 2021 तक धारित किया गया है	रु. 100000	श्रीमती सुनीता देवी
③ ग्राम नरसिंह, तह. हा. जिला-इलाहाबाद	अग्रपट्टा (क)	110 सेंटर	110000	श्रीमती सुनीता देवी (पत्नी के नाम पर)	2018 में खरीदा गया था 2022 में	रु. 100000	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर
 नाम (श्री. क. शर्मा)
 पद (सहायक निदेशक)